न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 110/2018

अनवान :

1. मांगेराम पुत्र जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

- वादी

बनाम

1. जीवणराम पुत्र शंकर जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. धर्मपाल पुत्र जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. हवासिंह पुत्र जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. सिनगारी पुत्री जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. रामप्यारी पुत्री जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी हरियाणा।
7. विमला पुत्री जीवणराम पत्नि रामकुमार जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी हरियाणा।
8. रविन्द्र कुमार पुत्र
9. विनोद कुमार पुत्र
10. सोनू पुत्री
11. सरोज पुत्री

   (8–11) स्व. रोशनी पुत्री जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा, हाल धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री दीवानसिंह : **वादी**

वकील श्री योगेश शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 11**

निर्णय **दिनांक : 23.5.18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भाडी के खाता सं0 69/63 के खसरा सं0 243/2 की 5.0260 है0 खसरा सं0 523/2 की 1.7840 है0 व खसरा सं0 546/2 की 2.7830 है0 कुल खसरा सं0 3 कुल क्षेत्रफल 9.5930 है0 बारानी खातेदारी कांश्तकारी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 जीवणराम के कर्ता खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 संयुक्त हिन्दू परिवार के सहदायिक सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादीगा सं0 2 से 7 प्रतिवादी सं0 1 की पुत्र–पुत्रियां है तथा प्रतिवादीगण सं0 8 से 11 प्रतिवादी सं0 1 की मृतक पुत्री रोशनी के पुत्र – पुत्रियां है अर्थात् प्रतिवादी सं0 1 के दोहिता – दोहिती है तथा प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान है। वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के पूर्वज शंकर पुत्र स्वरूप की खातेदारी हुआ करती थी। शंकर की फौतगी के बाद उक्त वाद भूमि वादी के पिता जीवणराम प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन में प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण सं0 5 ता 11 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा अपने भाईयों/मामा के पक्ष में त्याग दिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 12 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में मांगेराम पुत्र जीवणराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यफोटो प्रतिलिपि जमबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 69/63 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2055 से 58 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये व चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रोशनी देवी की पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि है। वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के पूर्वज शंकर पुत्र स्वरूप की खातेदारी हुआ करती थी। वाद कृषि भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2055 से 58 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा शंकर वल्द स्वरूप के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में जीवणराम के वारिसान में पत्नि शांतिदेवी फौत होना, चार पुत्र मांगेराम, धर्मपाल, ओमप्रकाश, हवासिंह मौजूद होना, तीन पुत्रिया सिनगारी, रामप्यारी, विमला मौजूद होना व एक रोशनी फौत होना जिसके

विधिक वारिसान दो पुत्र रविन्द्र व विनोद कुमार व दो पुत्रियां सोनू, सरोज मौजूद होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम भाडी के खाता सं0 69/63 के खसरा सं0 243/2 की 5.0260 है0 खसरा सं0 523/2 की 1.7840 है0 व खसरा सं0 546/2 की 2.7830 है0 कुल खसरा सं0 3 कुल क्षेत्रफल 9.5930 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि स्थित है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 चारों प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1, 5 ता 11 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वाद कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/4–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 110/2018

अनवान :

1. मांगेराम पुत्र जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

– वादी

बनाम

1. जीवणराम पुत्र शंकर जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. धर्मपाल पुत्र जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. हवासिंह पुत्र जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. सिनगारी पुत्री जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. रामप्यारी पुत्री जीवणराम जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी हरियाणा।
7. विमला पुत्री जीवणराम पत्नि रामकुमार जाति लखारा निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी हरियाणा।
8. रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. रोशनी पुत्री जीवणराम जाति लखारा निवासी
9. विनोद कुमार पुत्र भाडी तहसील भादरा, हाल धोलीपाल तहसील व
10. सोनू पुत्री जिला हनुमानगढ़।
11. सरोज पुत्री
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दीवानसिंह एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 11 श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम भाडी के खाता सं0 69/63 के खसरा सं0 243/2 की 5.0260 है0 खसरा सं0 523/2 की 1.7840 है0 व खसरा सं0 546/2 की 2.7830 है0 कुल खसरा सं0 3 कुल क्षेत्रफल 9.5930 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि स्थित है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 चारों प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1, 5 ता 11 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वाद कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/4–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़